एडीजी-परिपत्र संख्या- 02 / 2018

चन्द्र प्रकाश

आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध)
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक : अप्रैल 19 , 2018

विषय : अपराधियों पर पुरस्कार घोषित करने एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया हेतु निर्देश।

प्रिय महोदय,

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 464(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा जघन्य/दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करने या उसकी गिरफ्तारी हेतु परिणामजनक सूचना देने वाले अराजपत्रित पुलिस कर्मियों, ग्राम चौकीदारों जनता के व्यक्तियों को रूपये 2.50 लाख प्रति अपराधी की धनराशि का पुरस्कार शासनादेश सं0 539पी/छः-पु-6-17-1176/2002 दिनांक 16.09.17 के द्वारा व्यवस्था प्रदान की गयी है।

1. पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 464(क) में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी व दण्डित कराने के लिये स्वीकृत किये जाते हैं। उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-31 के प्रस्तर 464 से 471 तक में पुरस्कार से सम्बन्धित निर्देश विहित हैं। पुरस्कार घोषित किये गये अपराधी पर मुख्यालय स्तर पर पुरस्कार बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसकी गिरफ्तारी के क्या-क्या प्रयास किये गये? इसकी समीक्षा/संस्तुति/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित करने से पहले अवश्य कर ली जाये तद्उपरान्त विस्तृत आख्या प्रस्ताव निम्न प्रारूप में प्रेषित की जाय:-

प्रारूप

क्र0सं0	अपराधी का नाम व पता	सम्बन्धित अपराधी का अपराधिक इतिहास	मुकदमों का विवरण जिनमें वांछित है।	प्रत्येक मुकदमें में दं0प्र0सं0 की धारा 82/83 में की गयी कार्यवाही का विवरण दिनांक सहित	यदि पहले से घोषित पलायित अपराधी है तो उसका विवरण	अन्य वांछित विवरण कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

2. जनपद स्तर पर पुरस्कार घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये उनका विवरण सहित मुख्यालय को प्रेषित की जाय।
3. जिस अपराधी पर मुख्यालय स्तर पर पुररकार घोषित किया जाना है उस अपराधी के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की जाय।
4. पुरस्कार घोषित अपराधी कितने समय से फरार चल रहा है, अवधि की पुष्टि के साथ आख्या प्रेषित की जाय।
5. पुरस्कार बढ़ोत्तरी किये जाने का औचित्य क्या है? इस सम्बन्ध में विस्तृत आख्या मुख्यालय को प्रेषित की जाय।
6. जोन/परिक्षेत्र/जनपद स्तर से कब और कितनी पुरस्कार की धनराशि स्वीकृत की गयी है, का पूर्ण विवरण (आदेश की छायाप्रति सहित) मुख्यालय को प्रेषित की जाय।
7. जोन/परिक्षेत्र/जनपद स्तर पर पुरस्कार धनराशि बढ़ाये जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी की आख्या मुख्यालय को प्रेषित की जाय।
8. मुख्यालय स्तर से कितनी पुरस्कार धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी है, के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण आख्या मुख्यालय को प्रेषित की जाय।
9. एकाएक किसी सनसनीखेज/आतंकवादी घटना के घटित होने के पश्चात अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु मुख्यालय स्तर से पुरस्कार घोषित किये जाने हेतु जोन से सूचना मुख्यालय को प्रेषित की जाय।

10. उत्तर प्रदेश से पुरस्कार घोषित अपराधियों के अन्य राज्यों में गिरफ्तारी के उपरान्त की जाने वाली प्रक्रिया-

(I) जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर पुरस्कार घोषित अपराधी यदि किन्ही अन्य प्रान्तों में गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाली टीम में सम्मिलित सदस्यों का विवरण गिरफ्तार किये जाने की एफआईआर की प्रति, गिरफ्तार अपराधी का विवरण, मेडिकल रिपोर्ट एवं गिरफ्तार किये गये पुरस्कार अपराधी की पूँछ-तॉछ आख्या सम्बन्धित राज्य के पुलिस प्रमुख की घोषित पुरस्कार को वितरण करने की संस्तुति आख्या रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्यालय के अनुमोदनोपरान्त धनराशि वितरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

11. अपराधी के मुठभेड़ में मारे जाने पर घोषित पुरस्कार राशि स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में प्रक्रिया-

(I) मजिस्ट्रीरियल जांच एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक की जांच आख्या मुख्यालय को प्रेषित की जाय।

(II) मुठभेड़ से सम्बन्धित अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मुख्यालय को प्रेषित की जाय।

(III) विवेचना का परिणाम एवं न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रेषित की जाय।

(IV) मुठभेड़ से सम्बन्धित कोई वाद किसी न्यायालय/मानवाधिकार आयोग में लम्बित न होने का प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रेषित किया जाय।

(V) मुठभेड़ आदि में भाग लेने वाले प्रत्येक पुलिस कर्मी/व्यक्ति के योगदान/अंशदान का स्पष्ट उल्लेख कर पुरस्कार हेतु संस्तुत धनराशि का विवरण प्रेषित किया जाय।

अतः निदेशानुसार अपेक्षा की जाती है कि पुरस्कार घोषित किये जाने सम्बन्धी उपरोक्त बिन्दुओं से आप स्वयं अवगत हों एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें। उक्त सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन एवं इस परिपत्र में निहित प्राविधानों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगें।

ससद्‌भाव,

भवदीय

19/4/18

(चन्द्र प्रकाश)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।